

**मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग
मंत्रालय, भोपाल**

क्रमांक/TRD/0186/2025-O/oPS-25(TRD)/E-719466 भोपाल, दिनांक 09/09/2025

प्रति,

1. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजक
जनजातीय कार्य विभाग,
मध्यप्रदेश।
2. समस्त प्राचार्य,
कन्या शिक्षा परिसर,
मध्यप्रदेश।

विषय:- आवासीय कन्या शिक्षा परिसर का नामकरण "माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर" किये जाने बाबत।

संदर्भ: माननीय मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक डी 0683 दिनांक 09.06.2025 जिला शहडोल।

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिनांक 09.06.2025 को जिला-शहडोल प्रवास के दौरान जनजातीय वर्ग की बालिकाओं को शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करने के लिए विभागांतर्गत संचालित कन्या शिक्षा परिसरों का नाम माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर किये जाने की घोषण की गई है।

एतद् द्वारा जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित समस्त कन्या शिक्षा परिसरों का नाम परिवर्तित कर "माता शबरी आवासीय कन्या शिक्षा परिसर" किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(दिशा प्रणय नागवंशी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

जनजातीय कार्य विभाग

पृ.क्रमांक/TRD/0186/2025-O/oPS-25(TRD)/E-719466 भोपाल, दिनांक 09/09/2025

1. अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय मध्यप्रदेश शासन मंत्रालय भोपाल को माननीय मुख्यमंत्री घोषणा क्रमांक डी 0683 दिनांक 09.06.2025 जिला शहडोल के संबंध में सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक माननीय मंत्री मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
3. निज सचिव प्रमुख सचिव मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल।
4. आयुक्त जनजातीय कार्य मध्यप्रदेश।

5. समस्त संभागायुक्त राजस्व संभाग मध्यप्रदेश।
6. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य, मध्यप्रदेश।
8. गार्ड फाईल/विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनजातीय कार्य विभाग